## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a व	र्वहत
आर०एम० वाद सं०-14/2010-11	
मो० बाँसी देवी	विक्रेता
बनाम	
जागरण मुण्डा	क्रेता

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमति वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरूची नही दिखाई जा रही है यानि आवेदक को जमीन बिक्री करने में कोई दिलचस्पी नही है।

अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		सं०	i
काँची	बुण्डू	211	991	0.59 ए०
			993	0.64 ए०

भूमि का विवरण

लेखापित एंव संशोधित।

21.07.22

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

भूमि सुधार उप समाहत्ता, बुण्डू (राँची)।

बुण्डू (राँची)।